बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

!! संकल्प !!

विषय–डा० तबरेज अख्तर, प्राध्यापक, मोनाफेउल आजा विभाग–सह–प्रभारी प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(ix) के अधीन अनिवार्य सेवानिवृति की शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

अधीक्षक, राजकीय तिब्बी कॉलेज एव अस्पताल, पटना के पत्राक–191 दिनाक–09 09. 2022 के आलोक मे राजकीय तिब्बी कॉलेज एव अस्पताल, पटना के औषधि भण्डार एव सबधित सस्थान के वित्तीय अनियमितता हेतु सपूर्ण मामले की जॉच करने के लिए विभागीय आदेश ज्ञापाक–1171(आ०चि०) दिनांक–13.10.2022 द्वारा जॉच समिति का गठन किया गया था।

2. समिति द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन मे अत्यधिक मात्रा में यूनानी औषधि रूपये 53,39,411/–(तिरपन लाख उनचालीस हजार चार सौ ग्यारह मात्र) का कालातीत, (Expire) पाया गया। डा० तबरेज अख्तर, प्रभारी प्राचार्य–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राजकीय तिब्बी कॉलेज एव अस्पताल, पटना द्वारा जॉच समिति को जॉच के क्रम में संगत अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया। साथ ही जाँच कार्य मे अपेक्षित सहयोग नहीं किया गया।

3. उपर्युक्त कृत्य के लिए विभागीय अधिसूचना सख्या–1215(आ०चि०) दिनांक–28.10.2022 द्वारा डा० अख्तर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलबित किया गया। तत्पश्चात विभागीय पत्राक–70(आ०चि०), दिनांक–19.01 2023 द्वारा डा० अख्तर के विरूद्ध निम्नलिखित आरोपों के कारण आरोप–पत्र गठित किया गया :–

(i) अधीक्षक, राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल, पटना द्वारा बार–बार लिखित/मौखिक यूनानी औषधि की आपूर्त्ति अस्पताल को करने हेतु डा० तबरेज अख्तर, तत्कालीन प्राचार्य से अनुरोध किया गया परन्तु उनके द्वारा औषधि की आपूर्त्ति नही किया गया और मनमाने तरीके से कुल 53,39,411/– (तिरेपन लाख उनचालीस हजार चार सौ ग्यारह) रूपये की यूनानी औषधि को तिथिवाद करा दिया गया।

(ii) ग्लोबल मार्केटिंग एण्ड प्लेसमेंट को वास्तविक रू० 14,20,160/– (चौदह लाख बीस हजार एक सौ साठ) विपत्र के आलोक मे 28,14,360/– (अठाईस लाख चौदह हजार तीन सौ साठ) रूपये का भुगतान किया गया अर्थात 13,94,200/–(तेरह लाख चौरानवे हजार दो सौ) रूपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

(iii) Janta Dardmand दवाखाना, कंपनी मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से बिना निविदा/बिना कोटेशन के सेल कोटेशन के रूप में रू० 14,79,479/–(चौदह लाख उनासी हजार चार सौ उनासी) की यूनानी औषधि सीधे मुरादाबाद की निजी कपनी से क्रय किया गया जो स्टॉक रजिस्टर में दिनांक–30 06.2022 को सधारित करने का उल्लेख है, जबकि

Janta Dardmand दवाखाना से आपूर्त्ति की गयी यूनानी औषधि की मैनुफैक्चरिग तिथि अगस्त, 2022 है।

(iv) राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल, पटना के दूसरी मंजिल पर छात्रो का छात्रावास चलाया जा रहा है परन्तु किसी भी छात्र का विधिवत एडमिशन नहीं हुआ है और उन लोगों से मासिक चार्ज नहीं किया जाता है।

(v) राजकीय तिब्बी कॉलेज एव अस्पताल, पटना प्राचार्य के पत्राक 1538 दिनांक–24.11.2022 द्वारा सूचित किया गया कि डा० तबरेज अख्तर द्वारा कैश बुक का प्रभार दिनाक–29.10.2022 को हैण्डेड ओवर हस्ताक्षर किया गया परन्तु कैश बुक प्राचार्य कार्यालय दिनांक 21.11 2022 को हैड ओवर किया गया दिनाक–29.10.2022 से 21.11.2022 तक डा० अख्तर द्वारा अपने पास कैश बुक रखे रहना सदेह पैदा करता है।

(vi) रोकड पजी मे दिनांक 17.10.2022 को रू० 9,72,902/– (नौ लाख बहत्तर हजार नौ सौ दो) उत्तर प्रदेश की कंपनी ड्रग्स लेबोरेटरी, हापूर, मेरठ (उ०प्र०) द्वारा खाता सख्या–10165935828 का चेक सख्या–000529 से कॉलेज के चालू खात मे जमा किया गया। यह जमा किया गया राशि संदिग्ध प्रतीत होता है।

(vii) मो० अब्दुल रशीद, गुजरा मस्जिद, पहलवान घाट, पटना के परिवाद पत्र मे डा0 तबरेज अख्तर,प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर किये जा रहे वित्तीय अनियमितता का आरोप प्रतिवेदित किया गया है :–

(क) बिना क्रय समिति की अनुशंसा के स्वयं की कंपनी (OSHO) के औषधि का क्रय आनन–फानन में किया गया है। आपूर्ति आदेश के विरूद्ध आपूरित दवा की मात्रा नगन्य है।

(ख) पुत्र के नाम पर गाड़ी, अधीक्षक राजकीय तिब्बी कालेज एवं अस्पताल, पटना हेतु भाडे पर उपलब्ध करा कर सरकारी राशि का दोहन किया जाना (वाहन सं0 BR01PK7944)।

(ग) संविदा पर कार्यरत व्याख्याता का मातृत्व अवकाश नियम विरूद्ध स्वीकृत कर सरकारी राशि का दोहन किया जाना।

(घ) डा0 मो0 ग्यासुद्दीन, प्राध्यापक, जराहत विभाग, राजकीय तिब्बी कॉलेज एव अस्पताल, पटना से मोटी रकम लेकर नियम को ताक पर रख कर अपने स्तर से उप प्राचार्य के पद पर कनीय प्राध्यापक को पदस्थापित किया जाना।

(ड) डा0 मो0 मंसूर आलम, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना अपने स्तर से उपाधीक्षक का प्रभार ग्रहण करने हेतु निदेशित किया गया है।

4. विभागीय संकल्प संख्या–317(आ०चि०), दिनांक–25 03.2023 द्वारा डा० अख्तर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। डा0 विरेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–16 को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। सचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम से अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर असहमति व्यक्त की गई :–

(i) संस्थान के अधीक्षक द्वारा दवा की अधियाचना करने के उपरान्त डा० अख्तर द्वारा आपूर्ति किए दवा से संबंधित साक्ष्य जॉच समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ii) बिहार वित्त (सशोधन) नियमावली, 2005 के नियम–126 के अधीन दवा अधिप्राप्ति मे दक्षता, मितव्ययिता, पारदर्शिता लाने, आपूर्ति कर्ताओ के साथ निष्पक्ष व्यवहार एव लोक अधिप्राप्ति मे प्रतिस्पर्द्धता को बढावा देने के दायित्वो को डा० अख्तर द्वारा निष्ठापूर्वक निर्वहन नही किया गया।

(iii) बिहार वित्त (सशोधन) नियमावली, 2005 के नियम–131 (झ) के निहित प्रावधानो की अवहेलना करते हुए बिना निविदा का प्रकाशन किए जनता दर्दमंद दवाखाना, कपनी, मुरादाबाद (उत्तरप्रदेश) से 14,79,479 की दवा का अनियमित रूप से क्रय किया गया।

(iv) जनता दर्दमद दवाखाना, कंपनी, मुरादाबाद (उत्तरप्रदेश) द्वारा आपूर्ति की गयी दवा की उत्पादन की तिथि अगस्त 2022 अकित है, जबकि आपके द्वारा उक्त दवा को भंडारण पंजी में दिनांक 30.06.2022 को ही प्रविष्टि दर्शायी गयी है। इससे परिलक्षित होता है कि डा० अख्तर द्वारा दवा की आपूर्ति प्राप्त किये बिना ही फर्जी भण्डारण प्रविष्टि अकित कर दिया गया।

(v) ग्लोबल मार्केट एण्ड प्लेसमेंट (आपूर्तिकर्ता) को 14,20,160/– के विपत्र के आलोक में 28,14,360/–रू० का भुगतान किया गया। अधिक भुगतेय राशि की वसूली करने से संबधित साक्ष्य उपलब्ध नहीं करायी गयी।

(vi) डा० अख्तर द्वारा सस्थागत छात्रो को विधिवत कमरा आवंटित कर छात्रावास शुल्क प्राप्त नही किया गया।

(vii) डा० अख्तर द्वारा निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय मे योगदान करने के पूर्व रोकड पंजी का प्रभार अपने उत्तरवर्ती पदाधिकारी को नही सौंप कर वित्तीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गयी।

(viii) उत्तर प्रदेश की कपनी ड्रग्स लेबोरेटरी, हापुर, मेरठ के खाता स0–10165935828 का चेक सं0–000529 से रू० 9,72,902/– (नौ लाख बहत्तर हजार नौ सौ दो) कॉलेज के चालू खाता में जमा किया गया। दवा आंपूर्ति के पूर्व किसी दवा कंपनी को राशि भुगतान कर पुनः कॉलेज के चालू खाता मे राशि प्राप्त करना वित्तीय नियमावली का घोर उल्लंघन है।

(ix) बिहार वित्त (सशोधन) नियमावली, 2005 के नियम–131 (घ) द्वारा प्रावधानित है कि 50,000/– से अधिक एवं 5,00,000/– की सामग्री तीन सदस्यों वाली क्रय समिति की अनुशंसा से की जाएगी। समिति दर, गुणवत्ता एव विशिष्टियों की युक्त सगतता निश्चित करने तथा सही आपूर्तिकर्ता का पहचान करने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करेगी। आपके द्वारा उक्त प्रावधानो की अवहेलना करते हुए स्थानीय आपूर्तिकर्ता जेनेसिस इन्टरप्राइजेज डी०एन० दास लेन, पटना–04 को आपूर्ति करने का आदेश दिया गया। आपूर्ति की गयी दवा "ओशो मार्केटिग" द्वारा उत्पादित किया गया था। तत्सबधित फार्म का स्वामित्व डा० अख्तर का है।

(x) अधीक्षक, राजकीय तिब्बी कॉलेज एव अस्पताल, पटना द्वारा जिस अवधि मे वाहन स०–BRO1PK7944 का उपयोग किया जा रहा था, उक्त अवधि में वह वाहन डा० अख्तर की पत्नी के नाम से पजीकृत था।

(xi) डा० आलिया प्रवीण, सहायक प्राध्यापक के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान करने, डा० मो० ग्यासुद्दीन, प्राध्यापक (जराहत विभाग) को आंतरिक व्यवस्था के तहत उपप्राचार्य का दायित्व सौंपने एवं डा० मंसूर आलम, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी को उपाधीक्षक का दायित्व सौपने के पूर्व विभाग स्तर पर अनुमोदन प्राप्त नही किया गया।

5. आरोप की प्रकृति गभीर होने के कारण संचालन पदाधिकारी के अधिगम से अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(2) के अधीन असहमत होते हुए असहमति का बिन्दु अंकित कर विभागीय पत्राक–1091(आ०चि०), दिनांक–03.11.2023 द्वारा डा० अख्तर से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।

6 डा० अख्तर द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा मे प्राप्त प्रत्युत्तर की समीक्षा की गयी। समीक्षा से ज्ञात हुआ कि डा० अख्तर द्वारा पदीय दायित्वो के साथ–साथ वित्तीय मामले मे कर्तव्यो का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं किया गया है, जिसके कारण सरकारी राशि का अपव्यय हुआ।

7. डा० अख्तर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाच प्रतिवेदन एव डा० अख्तर से प्राप्त बचाव अभ्यावेदन की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त उन्हे अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा दिनाक–16.10.2024 को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(ix) के अधीन अनिवार्य सेवानिवृति की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

8 बिहार लोक सेवा आयोग के पत्राक–4107/लो०से०आ०, दिनांक–29.01.2025 द्वारा डा० अख्तर के विरूद्ध अनिवार्य सेवानिवृति की शास्ति अधिरोपित करने सबंधी विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

9. अत: डा० तबरेज अख्तर, प्राध्यापक, मोनाफेउल आजा विभाग–सह–प्रभारी प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कॉलेज एव अस्पताल, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(ix) के अधीन अनिवार्य सेवानिवृति की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति डा० तबरेज अख्तर, प्राध्यापक, मोनाफेउल आजा विभाग–सह–प्रभारी प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना एवं सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(शम्भू शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः—16/यू.1—08/2021-605 (आ० नि०) पटना, दिनांक – 21.4.2025

प्रतिलिपिः— प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/सिविल सर्जन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिवं/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक/राजकीय तिब्बी कॉलेज एव अस्पताल, पटना/आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारियो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अपर सचिव, मत्रीमडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनाक—08.04.2025 की बैठक के मद संख्या—11 के संदर्भ मे सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— डा० तबरेज अख्तर, प्राध्यापक, मोनाफेउल आजा विभाग—सह—प्रभारी प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कॉलेज एव अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21.4.25

सरकार के अपर सचिव

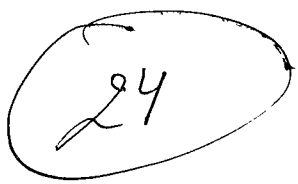
24